International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-8, Issue-6 December- 2021 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

संवैधानिक व कानूनी अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरूकता का अध्ययन

डॉ. नीतू पंवार

शोधार्थिनी

प्रवक्ता

शिक्षा विभाग

ताराचन्द वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज

मुजफ्फरनगर

सारांश

महान संस्कृति सभ्यता और धरोहर का धनी होते हुए भी हमारा देश महिला शिक्षा की दृष्टि से विश्व में बहुत पिछड़ा हुआ है और शोषण का एकमात्र कारण शिक्षा का अभाव माना गया है। महिलाओं में प्रायः चेतना और नेतृत्व का घोर अभाव है जिससे इनका शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज की दुनिया में महिलाओं को शक्ति का एहसास दिलाने के लिए बुनियादी शिक्षा बेहद जरूरी है लेकिन इस मोर्चे पर फिलहाल भारत में काफी कुछ प्रयास हुए हैं और कुछ करना शेष है।

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को जागरूक करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं जिसमें महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण स्थितियों को समाप्त करने तथा अन्य स्तरों पर उन्हें कानूनी संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा अनेकों संवैधानिक प्रयास किए गए।

प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं को उनके आत्मसम्मान एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में उनकी संवैधानिक व कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

शोध की यादृछिक विधि द्वारा मीरपुर गांव के 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया और व्यक्तिगत तौर पर उनका साक्षात्कार लिया गया प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों द्वारा शोधार्थी ने अपने शोध के निष्कर्ष प्राप्त किए।

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि आज की महिलाएँ अपने सम्मान एवं अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है परंतु अभी उन्हें इस दिशा में सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए देश में अनेक संवैधानिक व कानूनी अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं जिनकी पूर्ण जानकारी होना महिलाओं के लिए आवश्यक है जिससे वे अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक जागरूक हो सकें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकें।

प्रस्तावना

आज विश्व में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। आज उसी का परिणाम है कि अब सरकार अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं के लिए भी अपने विकास के मापदंडों में परिवर्तन ला रही है। पहले महिलाओं के लिए सरकार के पास केवल कल्याणोन्मुखी योजनाएं थी, तत्पश्चात विकास के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया,लेकिन आज महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है। उन्हें दया का पात्र न समझ संपत्ति प्रगति के मार्ग में समान भागीदार माना जाने लगा है अतः आज महिलाएं अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने संवैधानिक व कानूनी अधिकारों के प्रति भी अधिक जागरूक होती जा रही हैं,फलस्वरूप एक शिक्षित समाज का निर्माण संभव हो रहा है।

संबंधित क्षेत्र में पूर्व में किए गए शोध कार्य

शोध के द्वारा अतीत को वर्तमान संबंधों से जोड़कर भविष्य का निर्धारण किया जाता है। किसी भी शोध कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए यह आवश्यक है कि शोधार्थी को उस शोध की पृष्ठभूमि का संपूर्ण ज्ञान हो इसके लिए पूर्व में किए गए समस्त शोध और उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोधार्थी ने नारी शिक्षा के विकास और उसकी निरंतर प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह जानने का प्रयास किया है कि संवैधानिक व कानूनी अधिकारों के प्रति आज महिलाएं कितनी जागरूक हैं। विषय से संबंधित अनेक शोध और उपलब्ध साहित्य जो शोधार्थी को प्राप्त हुआ है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है––

जे०सी० अग्रवाल, भारत में नारी शिक्षा के अंतर्गत समाज में नारी का स्थान तथा शिक्षा का वर्णन व नारी शिक्षा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया गया है और भारतीय संविधान में नारी को कैसा स्थान प्राप्त है, नारी शिक्षा के प्रमुख दस्तावेज का वर्णन है। नारी शिक्षा एवं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और नारी शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा आयोग और नारी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति का वर्णन है। नारी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा राष्ट्रीय योजना और राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति में नारी शिक्षा का वर्णन है।

प्रकाशनारायण नाटानी, (2004) अब तक महिला शिक्षा के बारे में जितनी समानता सामाजिक स्तर पर होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने साक्षरता के संबंध में प्रयास किए हैं किंतु इसमें वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं।

हिंदू पाठक महिला सशक्तिकरण के स्तर का ज्ञान इस आधार पर हो सकता है कि सत्ता के स्वरूप निर्माण और उसमें सहभागिता के मामले में उन्हें कितनी स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है और उनके योगदान में कितना महत्व दिया जाता है महिलाओं की उन्नति व विकास के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका सशक्तीकरण हो, उनकी सहभागिता का स्तर उच्च हो। ऐसा होने पर ही लैंगिक आधार पर एक समानता पूर्ण समाज की स्थापना होगी।

पंचवर्षीय योजना में स्त्री शिक्षा प्राप्तांक (2005) आज भारत को आजाद हुए लगभग 62 वर्ष बीत चुके हैं । आजाद भारत में शिक्षा का पदार्पण आधुनिक भारत के संबंध में हुआ था यद्यपि इन वर्षों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में ढेर सारे बदलाव आए, पुरानी बेड़ियां टूटी और नए सामाजिक प्रतिमान स्थापित

हुए। महिला जिन बंधन में बंधी हुई थी वह उन बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होती जा रही है जिस स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दिया गया था वह उसे पुनः प्राप्त हो रही है।

आर गोविंदा,(2005) हाल के अनुमानों से ज्ञात होता है कि विगत 10–15 वर्षों के दौरान बालिकाओं का स्कूल जाना उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, इसके बावजूद सबके लिए शिक्षा पर यूनेस्को की विश्व मॉनीटरिंग रिपोर्ट इस प्रगति को संतोषजनक नहीं मानती और लैंगिक समानता का लक्ष्य हासिल न हो पाने की आशंका व्यक्त करती है तो क्या बालिका शिक्षा रणनीति का उचित तरीके से अनुसरण किया जा रहा है।

नीरज कुमार,(2007)

सरकार महिला पुरुष भेदभाव को समाप्त करने और महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके लिए अवसरों के साथ एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध है पहली बार सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं की समानता एवं सशक्तिकरण के लिए योजना आयोग की चिंता उजागर हुई निस्संदेह सरकार ने अपने प्रयास और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं से जूझते हुए महिलाओं के लिए चौखट की दहलीज से अंतरिक्ष तक का रास्ता बनाया है। आज घूंघट उठने पर बेशर्म, बेहया जैसे अपमानित शब्दों से दूर नारी समाज में एक स्थान बनाने में कामयाब हुई है।

पूनम द्विवेदी, (2007) के अनुसार महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पर विचार चल रहा है। कानून ही वह आधार प्रदान करता है जिसके दम पर महिलाओं के हित के लिए काम किया जाता है। महिलाओं में दिनों दिन बढ़ती गरीबी निर्णय क्षमता निर्णय निर्माण में ऐसा मान सहभागिता आधारभूत संरचना में महिलाओं की भागीदारी की असमानता आदि कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनके बिना महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा होने में संदेह है। महिलाओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संगठित कर उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर और प्रत्येक स्थानों पर उनके सहभागिता के स्तर को बढ़ाकर ही महिला सशक्तिकरण हो सकेगा और अपना देश और समाज भी सशक्त हो सकेगा।

महिलाओं के कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधान

भारत का संविधान अपने मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत महिलाओं के लिए समान अधिकारों की घोषणा करता है ये प्रावधान निम्न हैं––

अनुच्छेद 15 : कानून के समक्ष समानता का उल्लेख।

अनुच्छेद 15 लिंग, जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाना।

अनुच्छेद 16 : (1) (2): रोजगार या नियुक्ति के मामले में समान अवसर की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 39 : (4) समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख करता है।

अनुच्छेद 42 कार्य एवं प्रवास की राहत की सही एवं मानवीय दशाओं का उल्लेख करता है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महिला सशक्तीकरण व जागरूकता के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, विधायक बने हैं, अधिनियम व कानून लागू किए गए हैं। राष्ट्रीय एवं सामाजिक संगठन महिला सशक्तिकरण में सहयोग के लिए आगे आए हैं, पर प्रश्न यही है क्या पीड़ित महिलाओं तक ये सुविधाएं पहुँच पाती है यदि नहीं तो क्यों इसके लिए महिलाओं का शिक्षित एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है तभी महिला अपनी प्रगति समाज की प्रगति तथा राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो सकती है। महिलाओं का आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है। उनकी इच्छा अनिच्छा एवं सुझावों का परिवार समाज एवं राज्य स्तर पर सम्मान हो, उन्हें योग्यता बढ़ाने के अवसर मिले, देश का गौरव बढ़ानेमें सहयोग का पूरा अवसर प्राप्त हो।

हमारे देश की भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नामक कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर दिनांक 16 फरवरी को पटना में दिए गए भाषण में कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमता का उपयोग तभी हो सकेगा जब हमारी आबादी का लगभग आधा भाग अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकें जब तक ऐसा नहीं होगा प्रतिभा का आधा भाग तथा प्रगति का आधा भाग विनष्ट होता रहेगा एक राष्ट्र के रूप में हम इसकी बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते इस तरह एक रथ के आगे बढ़ने के लिए उसके दोनों पहियों के आगे चलने की आवश्यकता है उसी तरह पुरुषों और महिलाओं के संयुक्त रूप से मजबूत होने तथा आगे बढ़ने की जरूरत है

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिला शिक्षा हेतु शासकीय प्रावधान एवं क्रियान्वयन

स्वतंत्रता के पश्चात महिला शिक्षा के विकास हेतु अनेक आयोग व समितियों द्वारा सुझाव प्रस्तुत किए गए। समय बदला व नीतियां बदली। अब शिक्षा को सबलीकरण का सशक्त माध्यम मानते हुए महिला शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया जहाँ सरकारे महिला उत्थान के उद्देश्य से नई योजनाएं बनाने लगी वहीं कई गैर सरकारी संगठन भी उनके अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं।

महिलाओं के विकास हेतु प्रारंभ किए गए कानूनी एवं वैधानिक कार्यक्रम

सरकार द्वारा समय समय पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में वैधानिक उपाय किए गए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार तथा उनको स्वावलंबी बनाने के लिए पुराने अधिनियमों में संशोधन और नए अधिनियम पारित किए गए सकारात्मक परिवर्तन के ये प्रयास स्वतंत्रता के पश्चात से जारी हैं जिनमें पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय तेजी आई है

1 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विशेष विवाह अधिनियम विवाह में विधि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन करके किसी लड़की को जिसका बाल्यावस्था में विवाह हो गया हो यह अधिकार दिया गया है कि वह उसके व्यस्त होने से पहले हुए विवाह को निरस्त कर सकती है

प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961

सामान वेतन अधिनियम में महिलाओं और पुरुषों को एक जैसे काम के लिए समान भुगतान की व्यवस्था की गई

बाल विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम के द्वारा विभाग की आयु लड़कियों के लिए 15 से 18 तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष से 21 कर दी गयी

अनैतिकता निवारक अधिनियम ई के माध्यम से वेश्यावृत्ति संबंधी कानून को कड़ा और प्रभावी बनाया गया

1961 का दहेज निषेध अधिनियम तत्पश्चात इसमें 1984 एवं 1986 में संशोधन

1986 में महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन निवारक अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि विज्ञापनों और पुस्तकों आदि के द्वारा महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन न किया जाए।

सती निवारण अधिनियम 1987 जिसके अंतर्गत सती प्रथा को गौरवान्वित करने वालों के लिए भी एक से सात वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया।

महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2007

संपत्ति अधिकार अधिनियम 2007

फौजदारी कानून जैसे गवाही कानून भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन किए गए। भारतीय दंड संहिता में दहेज मृत्यु को एक नए अपराध के रूप में शामिल किया गया

इसके अतिरिक्त महिलाओं के विरुद्ध अपराधों हिंसा और भेदभाव के मामलों की सुनवाई के लिए महिला पुलिसकर्मियों और महिला अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं ताकि दहेज के कारण मौत,ससुराल की प्रताड़ना,यौन अपराध अथवा रोजगार में भेदभाव के मामलों पर शीघ्र और सहानुभूति पूर्वक कार्रवाई की जा सके क्योंकि महिलाओं की नीति निर्माण और शासन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए 64 वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम में के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30: स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गय।

वैधानिक उपायों के अतिरिक्त भारत में अनेक महिला कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं से संबंधित विचारणीय बातों की देखभाल के लिए सरकारी स्तर पर नीतियों में कई बदलाव हुए हैं। 70 के दशक में महिला कल्याण की सोच थी तो 80 के दशक में विकास और 90 के दशक में वर्तमान में सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण पर अधिक जोर है। सरकारी स्तर पर विभिन्न योजनाओं का निर्माण महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया ।

आंकड़ों का संकलन

आंकड़ों के संकलन के लिए शोधार्थी ने केवल मीरपुर गांव के 100 उत्तरदाताओं के साक्षात्कार लिए एवं सर्वप्रमुख उपकरण प्रश्नावली द्वारा उत्तर प्राप्त करके सांख्यिकी विधि द्वारा उनके निष्कर्ष प्राप्त किए

जिसके लिए उसने कैलकुलेटर एवं कंप्यूटर की तकनीकी का सहारा लिया एवं आंकड़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किए––

तालिका

तालिका 1

क्या उच्च शिक्षण संस्थनो में महिलाओ को आरक्षण दिया जाये ?

कथन की प्रतिक्रिया प्रतिशत में		
हां	नही	अनिश्चित
72 (72:)	16 (16:)	12 (12:)

तालिका 1 की प्रतिशतता 72 16 व 12 उत्तर है जो क्रमशः हां नहीं अनिश्चत की सूचना है । अतः आकंड़ो से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षण संस्थनो में महिलाओ को आरक्षण दिया जाना चाहिए ।

तालिका 2

क्या महिलाओ को और अधिक संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए ?

कथन की प्रतिक्रिया प्रतिशत में		
हां	नही	अनिश्चित
90 (90:)	8 (8:)	2 (2:)

तालिका 2 की प्रतिशतता 90 8 व 2 उत्तर है जो क्रमशः हां नहीं अनिश्चत की सूचना है । अतः आकंड़ो से स्पष्ट है कि महिलाओ को और अधिक संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए ।

तालिका 3

क्या महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक है ?

कथन की प्रतिक्रिया प्रतिशत में		
हां	**नही**	**अनिश्चित**
88 (88:)	8 (8:)	4 (4:)

तालिका 3 की प्रतिशतता 88 8 व 4: उत्तर है जो क्रमशः हां नहीं अनिश्चत की सूचना है । अतः आकंड़ो से स्पष्ट है कि महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक है ।

तालिका 4

क्या महिलाओ को भूमि सम्पत्ति में दिया गया अधिकार उचित है ?

कथन की प्रतिक्रिया प्रतिशत में		
हां	**नही**	**अनिश्चित**
76 (76:)	12 (12:)	12 (12:)

तालिका 4 की प्रतिशतता 76 12 व 12 उत्तर है जो क्रमशः हां नहीं अनिश्चत की सूचना है । अतः आकंड़ो से स्पष्ट है कि महिलाओ को भूमि सम्पत्ति में दिया गया अधिकार उचित है ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तालिकाओं द्वारा शोधार्थिनी ने अपने शोध अध्ययन पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत तालिकाओं के माध्यम से शोधार्थिनी ने निष्कर्ष प्राप्त किए हैं कि महिलाओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार भी मिलने चाहिए और वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति

जागरूक हैं । महिलाओं को भूमि संपत्ति में दिया गया अधिकार भी उचित है और वे इसके प्रति भी काफी जागरूक है।

अपने अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप शोधाथिनी ने पाया कि आज हमारे देश में सरकार ने जो महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है उनसे सभी ग्रामीण महिलाएं तो परिचित नहीं हैं परंतु अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हैं।

जहाँ सरकारें महिला उत्थान के उद्देश्य से नई नई योजनाएं बनाने लगी है, यहीं कई गैर सरकारी संगठन भी उनके अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं । नारी सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के भीतर ऐसी प्रबल भावना को उजागर करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि वह अपने भीतर छिपी ताकत को सही मायने में उजागर कर बिना किसी सहारे के आने वाली हर चुनौती का सामना कर सके।

संप्रति सरकार महिलाओं के उत्थान, विकास और उन्हें सशक्त बनाने वाले समस्त प्रयास पर बल दे रही है। वह गांव तथा जंगल में अपनी पहचान खोई महिलाओं से लेकर आधुनिकता से कदमताल मिलाती महिलाओं के साथ है। वह आज महिलाओं को वह सारे मानक देने को तैयार है जो उसे सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हैं। सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, खाद्य, पोषण, सुरक्षा, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं और सुविधाओं समेत शिक्षा, न्याय, रोजगार जैसे उपक्रमों के माध्यम से अपना हाथ उन तक बढ़ा रही है परंतु इनका लाभ तभी है जब वह स्वयं उन नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण में सहभागी हों जो उसके लिए बनाई गई है। यह तभी संभव है जब वह स्वयं राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग हो जो नीतिनिर्माण व क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है राजनीतिक शक्ति के संरचना एवं निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से ही महिलाएं समानता के अपने अधिकारों को प्राप्त करने के साथ साथ सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगी और इसके लिए महिला का शिक्षित एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है तभी महिला अपनी प्रगति, समाज की प्रगति, तथा राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो सकती है।

शोध की उपयोगिता

प्रस्तुत शोध का औचित्य समाज में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करना, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अशिक्षित महिलाओं को आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करना है। महिलाओं को अधिकार पूर्ण जगह दिलाने के साथ साथ उनके अंदर यह भाव जगाने की जरूरत है कि वे राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है । अगर समाज भेदभाव के खिलाफ कुछ नहीं करता और सदियों से वंचित महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देता तो देश के विकास का कोई मतलब नहीं है और महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए बुनियादी शिक्षा बेहद जरूरी है।

भावी अनुसंधान हेतु सुझाव

प्रस्तुत अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है क्योंकि महिलाओं से संबंधित अनेक क्षेत्र हैं और उनमें कुछ क्षेत्र अभी अनछुए हैं जिन पर आगे अभी और शोध होना अनिवार्य है।

समयाभाव को देखते हुए शोधार्थिनी ने प्रस्तुत विषय पर 100 उत्तरदाताओं का न्यादर्श के रूप में चयन किया । इस विषय पर अन्य जिलों एवं अन्य क्षेत्रों में सुधार के लिये बड़े न्यादर्श को लेकर भी अनुसंधान किया जा सकता है। साथ ही महिलाओं से संबंधित अन्य विषयों जैसे हिंसा, शोषण, मजदूरी, दहेज, स्वास्थ्य आदि में जागरूकता भी अध्ययन के विषय हो सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1 द्विवेदी,पूनम (2007) महिला सशक्तिकरण और वर्तमान कानून

2 चोपपडा ,जे०के०(1994) वीमेन इन दी इंडियन पार्लियामेंट, मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

3 जैन ,देवकी (1980) वीमेन क्वेस्ट फॉर पावर, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली

4 पांडा स्नेहलता, (2002) पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन, राज्य पब्लिकेशंस दिल्ली

5 विद्या के० सी०(1997) पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन एंड दी ग्रास रूट्स ,कनिष्का पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली

6 शुभा के०(1994)वीमेन इन लोकल गवर्नेंस, राज बुक्स एंड सब्स्क्रिप्शंस जयपुर

7 रिपोर्ट ऑन द कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया टुवर्ड्स इक्वलिटी, भारत सरकार समाज कल्याण विभाग, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली

8 सक्सेना पूनम के० वीमेन पार्टिसिपेशन हिंदी नेशनल मूवमेंट इन दी यूनाइटेड प्रोविंस एज स्पीक 47 मानुषी संख्या 46

9 शिवाल बी०आर०अप्रैल– जून(2002)पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन वीमेन लिंक, खंड आठ, संख्या दो नई दिल्ली

10 सूर्य कुमारी ए (1989) स्ट्रैटेजीज फॉर पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन यूनिवर्सिटीज, न्यूज जून 5 नई दिल्ली

11 सुभाष लेख पंचायतीराज और महिला सशक्तिकरण कुरुक्षेत्र, अगस्त (2007)

12 प्रतापमल, देवपुरा (2001) अपनी बात पंचायतीराज और महिला सशक्तिकरण आंदोलन अभी लंबा सफर प्रकृति

13 अंसारी, एम०ए० (2000) महिला और मानवाधिकार ज्योति प्रकाशन जयपुर पृष्ठ संख्या 67

14 राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट हिंदुस्तान 5 अक्टूबर (2009)